LL.B.6SEM. C.P.C.

SUIT BY INDIGENT PERSION.ORDER. 33.RULE.1-10
निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद -

BY.BANSHLOCHAN PRASAD.
Assistant.Professor
NGB(DU).PRAYAGRAJ.

Scanned with CamScanner

निर्धन व्यक्ति कौन है (आदेश 33 नियम 1 के स्पष्टीकरण 1) –

सपष्टीकरण 1 के अनुसार ऐसा व्यक्ति निर्धन है जो –

1. यदि वाद में वाद-पत्र हेतु विधि द्वारा नियत शुल्क का भुगतान करने हेतु उसके पास पर्याप्त साधन नही है, या

2. जहां न्यायालय शुल्क नियत न हो वहां यदि वह 1000 रूपये मूल्य की संपत्ति का अधिकारी नही है |

ऐसी सम्पत्ति जो आज्ञप्ति के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति है तथा वाद के विषय-वस्तु निर्धनता के निर्धारण में विचारणीय नही है |

स्पष्टीकरण 2 के अनुसार **आदेश 33** के प्रयोजन हेतु वह संपत्ति विचारणीय होगी जो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु दिए आवेदन के पश्चात किन्तु उसके विनिश्चित किये जाने से पूर्व आवेदक द्वारा अर्जित की गयी हो |

निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु आवेदन (आदेश 33 नियम 2) – निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमति हेतु आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विशिष्ट विवरण देने होंगे –

1. आवेदक की चल या अचल संपत्तियों तथा उनके अनुमानित मूल्य दर्शाने वाली एक अनुसूची |

2. वाद-पत्र में अपेक्षित अभिवचन तथा विवरण भी दिए जायेंगे |

3. आदेश 6 नियम 14 तथा **15** द्वारा यथा अपेक्षित हस्ताक्षर एवं सत्यापन |

Scanned with CamScanner

नियम 3 के अनुसार आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय ने उसे उपस्थिति से अवमुक्त न कर दिया हो। जहां एक से अधिक व्यक्ति निर्धन के रूप में वादी के रूप में वाद-पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं वहां उनमें से कोई एक व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के सामने वाद-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

जुगुल किशोर बनाम धन्नो देवी के वाद में यह अवधारित किया गया कि, "निर्धन व्यक्ति के रूप वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही वाद प्रारम्भ हो जाता है।"

आवेदक के साधनों की जांच (आदेश 33 नियम 4) – आवेदक **आदेश 33 नियम 1** के **प्रथम स्पष्टीकरण** की परिधि में आने वाला निर्धन व्यक्ति है या नही, इस बात की जांच आवश्यक होगी। ऐसी जाँच न्यायालय के किसी प्रमुख कर्मचारी या मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा की जायेगी। न्यायालय ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गये जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है। न्यायालय स्वयं भी जांच कर सकता है।

नियम 4 के अनुसार न्यायालय आवेदक या उसके अभिकर्ता से पूछताछ कर सकता है। यह पूछताछ या परीक्षा दावे के गुण-अवगुण के सम्बन्ध में तथा आवेदक की संपत्ति के सम्बन्ध में हो सकती है।

आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना (आदेश 33 नियम 5) – निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय आवेदन को निरस्त कर सकेगा –

1. आवेदन पत्र का विहित ढंग से तैयार या प्रस्तुत न किया जाना जबकि न्यायालय द्वारा उस विषय में अपेक्षा की गयी हो तथा उस हेतु समय भी दिया गया हो।

Scanned with CamScanner

2. आवेदक का निर्धन व्यक्ति न होना |

3. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण से ठीक पूर्व दो महीने में अपनी संपत्ति का कपटपूर्ण निस्तारण या निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन करने हेतु संपत्ति का ऐसे दो माह के भीतर निस्तारण |

4. आवेदन पत्र में किये गए अभिकथनों से वाद कारण का दर्शित न होना |

5. आवेदक द्वारा विषय-वस्तु के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के साथ करार करना जबकि ऐसे करार के फलस्वरूप संपत्ति में कोई हित प्राप्त करना |

6. आवेदन पत्र से वाद के कालबाधित होना दर्शित होना |

7. किसी अन्य व्यक्ति का मुकदने में पैसा लगाने के लिए करारबद्ध हो जाना |

नियम 6 और **7** के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि आवेदन पत्र निरस्त नही किया जाता तो न्यायालय निर्धनता के अवधारण के लिए, साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित करेगा | नियत तिथि पर साक्षियों (यदि कोई हो) की परीक्षा की जायेगी, दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं | न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा | आवेदन निरस्त किये जाने पर दूसरा आवेदन प्रस्तुत नही किया जाएगा | न्यायालय शुल्क का भुगतान करके वाद लाने के लिए आवेदक स्वतंत्र होगा |

नियम 8 के अनुसार यदि आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे क्रमांकित तथा पंजीकृत किया जाएगा उसे वाद-पत्र में लिखा जाएगा, समान ढंग से वाद चल पड़ेगा, वादी न्यायालय शुल्क तथा आदेशिका शुल्क के तात्कालिक भुगतान से मुक्त

Scanned with CamScanner

शुल्क तथा आदेशिका शुल्क के तात्कालिक भुगतान से मुक्त रहेगा।

नियम 17 के अनुसार प्रतिवादी को, यदि वह निर्धन है, उस हैसियत से प्रतिदावा या प्रतिसादन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

नियम 9A के अनुसार न्यायालय, निर्धन व्यक्ति, जिसका प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा न किया जा रहा हो, को एक अधिवक्ता उपलब्ध करा सकता है।

नियम 18(1) के अनुसार शासन को निःशुल्क विधिक सहायता निर्धन व्यक्ति को प्रदान करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

निर्धन व्यक्ति के रूप में अमान्य किया जाना (आदेश 33 नियम 9) – निम्नलिखित तीन आधारों पर **सात दिन** की नोटिस देने के बाद वाद को संचालित करने की अनुमति प्रतिसंहृत की जा सकती है –

1. आवेदक (वादी) का वाद के अनुक्रम में तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी पाया जाना।

2. आवेदक के साधन एवं संसाधन को देखते हुए निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संचालित करना उचित न होना।

3. वादी का अन्य व्यक्ति से विषय-वस्तु के सम्बन्ध में करारबद्ध हो जाना तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा विषय-वस्तु में हित प्राप्त कर लेना।

न्यायालय शुल्क की वसूली (आदेश 33 नियम 10) – **आदेश 33 नियम 10** के अंतर्गत लाभार्थी वादी न्यायालय

Scanned with CamScanner

शुल्क के आधार से मुक्त नही किया जाता, न्यायालय शुल्क का भुगतान केवल स्थगित रहता है | अतः यदि निर्धन व्यक्ति वाद में सफल हो जाता है तो राज्य शासन द्वारा न्यायालय शुल्क वसूल किया जा सकेगा | न्यायालय शुल्क विषय-वस्तु पर प्रथम भार होगा |

नियम 11 के अनुसार यदि भार विफल हो जाता है (वादी हार जाता है) तो भी न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाएगा |

नियम 11A के अनुसार यदि वादी की मृत्यु के कारण वाद उपशमित हो जाता है तो न्यायालय शुल्क मृतक वादी के सम्पदा से वसूल की जायेगी |

नियम 14 के अनुसार **कलेक्टर** न्यायालय शुल्क की राशि वसूल कर सकेगा और ऐसी वसूली भू-राजस्व की भांति होगी |

निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील (आदेश 44) – **आदेश 44** निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील का प्रावधान करता है, इस हेतु औपचारिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा | आवेदन **उच्च न्यायालय** के समक्ष दिया जाएगा | इस हेतु समयावधि **60 दिन** है | कुछ मामलों में जहां अपील किसी दूसरे न्यायालय में प्रस्तुत करना हो वहां यह अवधि **30 दिन** होगी |

Scanned with CamScanner